

[2008] 12 एस.सी.आर. 305

केन्द्रीय आयुक्त, वडोदरा-।

बनाम

मेसर्स गुजरात कार्बन एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(2005 की सिविल अपील सं. 1618)

18 अगस्त 2008

[डाॅ. अरिजीत पासायत और डाॅ. मुकुंदम शर्मा, जे.जे.]

सेवा कर-2003 से पहले सेवा प्राप्तकर्ताओ पर लगाया जाने वाला कर आयोजित किया गया; न्यायाधिकरण-वित्त अधिनियम 1994, एस.एस. द्वारा उचित रूप से अलग किया गया। 70, 73, 76, 77 और 81।

उत्तरदाताओ-मूल्यांकनकर्ताओ ने वर्ष 2003 से पहले माल परिवहन संचालकों की सेवाए ली थी। कमिशनर ने आदेश पारित कर परिवहन संचालकों को उनके द्वारा भुगतान किए गए सकल परिवहन शुल्क पर सेवा कर मांग की। न्यायाधिकरण आदेश को अपास्त किया । इसलिए यह अपल की गई।

याचिकाओ को खारिज करते हुए अदालत ने कहा-

न्यायाधिकरण ने मामले में एक निर्णय का सन्दर्भ दिया। एल.एच.शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड बनाम सी.सी.इ., मेरठ-॥ जहां के इसी तरह की परिस्थितियों में कारण दर्शाते नोटिस जारी किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सुसंगत अवधि के दौरान धारा 73 उनमें लागू होगी- जो धारा 70 के तहत विवरणी दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं। रिटर्न दाखिल करने का दायित्व उस पर डाला जाता है विवरणी दाखिल करने का दायित्व केवल धारा 71A के तहत मूल्यांकनकर्ताओं पर है जो वित्त विधेयक 2003 में पेश किया गया। इस प्रकार, विचाराधीन अवधि के दौरान नहीं धारा 73 के तहत नोटिस जारी किया गया जा सकता था। इसलिए प्रश्नगत अवधि में धारा 73 के अन्तर्गत नोटिस जारी वास्ते धारा 70 में तहत रिटर्न दायर नहीं करने का नहीं किया जा सकता था। न्यायाधिकरण के अनुसार 1994 में 2003 से पहले सेवा प्राप्तकर्ता को धारा 70 वित्त विधेयक के तहत कोई रिटर्न दायर करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए न्यायाधिकरण ने सेवा कर मांग का आदेश रद्द कर दिया। एक समान मामले सी सी इ, मेरठ-॥ बनाम एल.एच.शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड में न्यायालय ने न्यायाधिकरण में निर्णय को स्वीकृत करते हुए कहा कि संशोधित धारा 73, केवल उन मूल्यांकनकर्ताओं पर लागू होती है जो धारा 70 के तहत रिटर्न दायर करने के लिए उत्तरदायी हैं।[पैरा 5,6,8][309-बी-डी, एफ, जी]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ-॥ v बनाम एल.एच.शुगर  
फैक्ट्रीज लिमिटेड और अन्य (2005 (13) एस.सी.सी. 245)

एल.एच.शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड बनाम सी.सी.इ., मेरठ-॥- द्वितीय  
(2004) 165 इ.एल.टी. 161

लघु उद्योग भारती और अन्य बनाम भारत संघ, 1999 (112)  
इ.एल.टी. 365

### मामला कानून संदर्भ

(2004) 165 इ.एल.टी. 161 पैरा 5

(2005) (13) एससीसी 245 पैरा 8

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1618/2005

अंतिम आदेश सं ए/909/डब्ल्यूजेडबी/2004/सी-IV दिनांक  
27/8/2004 से जाे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर  
अपीलीय न्यायाधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, मुंबई की अपील सं  
एसटी/101/2002 एमयूएम सी.ए.सं. 6424,7144,2005 का 1077, 1173,  
2006 का 3464, 3629, 3565, 3558, 3557, 3556, 3172 2007 का  
और 5131 में पारित किया गया।

एम.चंद्रेशखर, एस.पी.सिंह, अशोक भान, शिलंदर सैनी, अल्का शर्मा,  
बी.बी. बलराम दास, पी.परमेश्वरन, बी. कृष्ण प्रसाद, एस. नंदा कुमार,

सतीश कुमार, जी.आनंद सेल्वम, एस.लक्ष्मी, वी.एन.रघुपति, कविन गुलाटी, गौरव गोयल, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, इ.सी. अग्रवाल, यू.ए.राणा, अभिषेक के. राव (मेसर्स के लिए गागरट एंड कंपनी), संजीव कुमार सिंह, रूबी सिंह आहूजा, मनु अग्रवाल, माणिक करंजवाला और सेंटिल जगदीशन - उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

**डाॅ. अरिजीत पासायत, जे.**

सिविल अपील सं. 5131/2008, डी.न. 10930/2006

1. देरी को माफ कर दिया गया। अपील स्वीकार की गई।
2. इन अपीलों में समस्त मुद्दे शामिल हैं और इसलिए उन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जाता है।
3. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठें (संक्षेप में सी.इ.एस.टी.ए.टी.) प्रत्येक मामले में उत्तरदाताओं परिवहन संचालकों की सेवाओं में लगे थे। दूसरे शब्दों में सेवा का लाभ उठाने वाले थे न कि सेवा प्रदाता। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने नोटिस जारी कर उनसे पूछा कि वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 की धारा 76 और 77 के प्रावधानों के तहत उन पर उक्त अध्याय की धारा 70,76 और 81 के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और क्या ें देरी के लिए उनसे ब्याज की वसूली

नहीं की जानी चाहिए। लघु उद्योग भारती में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए और कारण बताओ नोटिस रद्द किया गया। उक्त मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वित्त अधिनियम के अन्तर्गत लाभकर्ताओं को सेवा कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मामलों में धारा 84 के तहत इस आधार पर आदेश पुनर्विलोकित किया गया कि वित्त अधिनियम 2000 की धारा 117 सेवा कर नियम, 1994 के नियम 1 के उप-नियम (1) के खंड (डी) के उप खंड (xii) के प्रावधान को पूर्वगामी लागू होती है। एक नमूने के तौर पर हम सिविल अपील संख्या 1618/2005 के तथ्यात्मक परिदृश्य को देखें। तथ्यात्मक परिदृश्य इस प्रकार है कि कमीशनर इस मत के थे कि धारा 117, वित्त अधिनियम 2000 के अनुसार किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण या अन्य अधिकारी उपखण्ड (XII) और सेवा कर नियमों के नियम 2 के उपनियम 1 के खण्ड (घ) के उपखण्ड (XVII), 1994 में सेवा कर नियम 1998 के प्रारम्भ के ठीक पहले अस्तित्व में था, वैध होना समझा जायेगा और जैसा कि उपखण्ड उसके अनुसार सभी महत्वपूर्ण समय पर बल में था। उपरोक्त पूर्वव्यापी संशोधन के कारण उपायुक्त के आदेश का पुनर्विलोकन किया गया। इस आदेश के पुनर्विलोकन का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। रेस्पॉण्डेंट मूल्यांकनकर्ताओं के जवाब पर विचार कर कमीशनर ने बीमा प्रभार दिनांक 16.11.1997 से 01.06.1998 तक के छोड़कर सकल परिवहन शुल्क पर विलम्ब बाबत ब्याज सहित सेवा कर की मांग की।

4. अधिकरण ने वित्त अधिनियम की धारा 73 का उल्लेख किया जो इस प्रकार "धारा 73(क)- केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त था, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के डिप्टी कमीशनर के पास विश्वास करने का कारण है कि निर्धारित की अंश से किसी भी निर्धारित अवधि के लिए धारा 70 के तहत रिटर्न बचाने या खुलासा करने में चूक या विफलता के कारण धारा 71 के तहत मूल्यांकन के सत्यापन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्य उस तिमाही के लिए कर योग्य सेवा का मूल्यांकन किया गया है या कोई राशि गलती से वापस लौटा दी है इसके बावजूद कि निर्धारित की अंश से खंड (ए) के रूप में उल्लेखित कोई चूक या विफलता नहीं हुई है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या जैसा भी मामला हो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के डिप्टी आयुक्त ने अपनी जानकारी में सूचना के परिणामस्वरूप कारण बताया है यह विश्वास करने का कारण है कि किसी निर्धारित अवधि में मूल्यांकन योग्य किसी कर योग्य सेवा का मूल्य मूल्यांकन से बच गया है या कम मूल्यांकन किया गया है या कोई राशि गलती से वापस लौटा दी गई है। खंड ए के तहत आने वाले मामलों में, पांच साल के भीतर किसी भी समय अंश खंड ए के अन्तर्गत आने वाले मामलों में रिटर्न दाखिल करने की तारीख से छह महीने के भीतर किसी भी समय निर्धारित की अंश को एक नोटिस भेज सकते हैं अंश कर योग्य सेवा के मूल्य का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

5. न्यायाधिकरण ने मामले में एक निर्णय का सन्दर्भ दिया। एल.एच.शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड बनाम सी.सी.इ., मेरठ-॥ जहां के इसी तरह की परिस्थितियों में कारण दर्शाते नोटिस जारी किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सुसंगत अवधि के दौरान धारा 73 उनमें लागू होगी- जो धारा 70 के तहत विवरणी दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं। रिटर्न दाखिल करने का दायित्व उस पर डाला जाता है विवरणी दाखिल करने का दायित्व केवल धारा 71A के तहत मूल्यांकनकर्ताओं पर है जो वित्त विधेयक 2003 में पेश किया गया। इस प्रकार, विचाराधीन अवधि के दौरान नहीं धारा 73 के तहत नोटिस जारी किया गया जा सकता था। इसलिए प्रश्नगत अवधि में धारा 73 के अन्तर्गत नोटिस जारी वास्ते धारा 70 में तहत रिटर्न दायर नहीं करने का नहीं किया जा सकता था। न्यायाधिकरण के अनुसार 1994 में 2003 से पहले सेवा प्राप्तकर्ता को धारा 70 वित्त विधेयक के तहत कोई रिटर्न दायर करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए न्यायाधिकरण ने सेवा कर मांग का आदेश रद्द कर दिया। समान विचार संबंधित प्रकरणों में दिए गए।

6. राजस्व के विद्वान वकील के अनुसार, पूर्वव्यापी होने के कारण सी.इ.एस.टी.ए.टी. का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अस्थिर है।

7. दूसरी ओर प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने न्यायाधिकरण के संबंधित निर्णयों का समर्थन किया।

8. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक समान मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ-11 बनाम एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड और अन्य (2005 (13) एस.सी.सी. 245), यह न्यायालय न्यायाधिकरण के समान निष्कर्षों से सहमत।

उपरोक्त से पता चलता है कि संशोधित धारा 73 की केवल उन निर्धारिती के मामले में लागू होती है जो धारा 70 के तहत रिटर्न भरने के लिए उत्तरदायी है। निसंदेह, रिटर्न भरने का दायित्व केवल धारा 71 के तहत अपीलार्थियों पर डाला गया है। धारा 71 के तहत आने वाले व्यक्तियों के वर्ग को धारा 73 के दायरे में नहीं लाया जाता है। उपरोक्त स्थिति के अनुसार धारा 73 का कारण बतओ नोटिस पोषणीय नहीं है।

9. एल.एच. शुगर केस में जो कहा गया उसके देखते हुए हम इस अपील में किसी प्रकार का कोई सार नहीं पाते इसलिए अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीतू आर्य (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।